280

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प० 10(38)नविवि/3/03 जयपुर, दिनांक 20.5.2004

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प० 5(8)नविवि/99 जयपुर दिनांक 30.8.01 द्वारा कृषि भूमि के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमन शुल्क/हस्तान्तरण शुल्क की राशि का 60% राशि का उपयोग संबंधित संस्था द्वारा विकास कार्यों पर उपयोग करने तथा शेष 40% राशि राज्य सरकार के कोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए थे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 4(18)एफडी/टैक्स/2001-पच दिनांक 26.2.04 द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के तहत राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारियों के मध्य राशि विभाजन के प्रावधान के होते हुए भी संपरिवर्तन चार्जेज में 50% छूट को अनुमोदित किया है। इस राशि में 50% छूट के तहत 40% राज्य सरकार द्वारा तथा 10% जविप्रा/स्थानीय निकाय द्वारा हिस्सा छोड़ा जाएगा।

वित्त विभाग के उक्त आदेश के अनुसार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत मामलों में रूपान्तरण/नियमन की कुल राशि पर 50% की छूट दी जाएगी। नियमन से प्राप्त शेष 50% राशि संबंधित जविप्रा न्यास/स्थानीय निकायों को प्राप्त होगी। इस राशि में राज्य सरकार को कोई राशि प्राप्त नहीं होगी।

आज्ञा से,
19/5/04
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा० मंत्री महोदय, राज० जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री महोदय, नगरीय विकास, राज० जयपुर।
4. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, नगरीय विकास, राज० जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त विभाग, राज० जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास, राज०-जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राज. जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, समस्त।
11. समस्त जिला कलक्टर।
12. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
13. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र की प्रतिलिपि समस्त नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं को अपने स्तर से जारी करावें।
14. उप शासन सचिव, वित्त (क) विभाग को उनके अशासकीय क्रमांक प० 4(18)एफडी/कर/2001 पार्ट-1 दिनांक 26.2.04
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(303)
(6)

कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर (राजस्थान)

क्रमांक कअ/एफ 34(57)सामान्य/04/ 3726-19 दिनांक:- 5-6-04

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- उपखण्ड अधिकारी, अजमेर/ब्यावर/किशनगढ़/केकड़ी/मसूदा/नसीराबाद।

2- सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर।

3- आयुक्त, नगर परिषद, अजमेर/ब्यावर।

4- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका,
किशनगढ़/केकड़ी/सरवाड़/बिजयनगर/पुष्कर।

कलक्टर, अजमेर